करना चाहें तो उन्हें पहला दर्जा तथा वातानुकूल दर्जे के बीच के अंतर का भुगतान करना होता है।

(iii) सदस्यों की वापसी यात्रा के लिए स्थाई अथवा अस्थाई निवास-स्थान से भिन्न स्थान के लिए भी पास जारी किया जा सकता है, बशर्ते कि पास जारी किए जाने वाले स्टेशन तक की दूरी से यह दूरी कम हो।

(iv) सदस्यों को समय-समय पर निर्धारित दैनिक भत्ता तथा जेब खर्च भी दिया जाता है।

(v) उन संसद सदस्यों को, जो समिति के सदस्य हैं, समय-समय पर यथा संशोधित संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा पेंशन अधिनियम, 1954 के प्रावधानों के अनुसार यात्रा भत्ता दिया जाता है।

(ख) राष्ट्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति के, जब कभी यह गठित की जाती है प्रभावकारी ढंग से कार्य किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापार तथा उद्योग के प्रतिष्ठित व्यक्तियों, संसद सदस्यों, भारत सरकार के कुछ मंत्रालयों के सचिवों, वरिष्ठ सेवारत तथा सेवानिवृत्त रेल अधिकारियों आदि को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। इस समिति की बैठकें वर्ष में दो बार बुलाई जाती है। सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जाता है।

Issuance of photo identity cards to voters in Delhi

318. SHRI SARADA MOHANTY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a large number of voters in Delhi, particularly South Delhi; whose photos have been taken, have not been issued photo identity cards;

(b) if so, the reasons for delay in issuing photo identity cards to the voters in those areas of Delhi; and

(c) the details of steps taken to expedite the delivery of identity cards to every voter whose photo has been taken?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS: (SHRI H.R. BHARDWAJ): (a) to (c) According to information made available by the Chief Electoral Officer, Delhi, over 85 per cent electors have been supplied with the photo identity cards. A total of 1,110,381 out of 1,716,905 electors have been supplied photo identity cards in South Delhi. A fresh phase of photography is being started shortly to prepare photo identity cards of the remaining electors. In this phase, photographs would also be taken of such electors as were photographed earlier but for technical reasons their photo identity cards could not be prepared. Government employees have been deputed to deliver the photo identity cards.

सेवानिवृत्त सेना कर्मियों को पुनः रोजगार प्रदान किया जाना

319. श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय सेना से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को सरकारी और अन्य सेवाओं में नौकरी देने हेतु क्या मानदंड अपनाए जाते हैं;

(ख) क्या यह सच है कि भूतपूर्व सैनिकों को अन्य सेवाओं में उनके कार्य के दौरान पिछली सेना की सेवा की उनकी पेंशन में मंहगाई भत्ता और अन्य भत्ते नहीं दिए जाते हैं;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार भूतपूर्व सैनिकों को दिए जाने वाले उक्त लाभों को नियमित करेगी; और

(ङ) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि भूतपूर्व सैनिकों को मिलने वाली पेंशन में अन्य भत्ते प्रदान किए जाएं और जब उन्हें पुनः रोजगार प्राप्त हो तो इन्हें उनके नए वेतनमान में शामिल किया जाए?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (रक्षा विभाग और रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग (श्री मल्लिकार्जुन): (क) से (ङ) केन्द्रीय सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए सरकारी नौकरियों में